OUR PUBLICATIONS

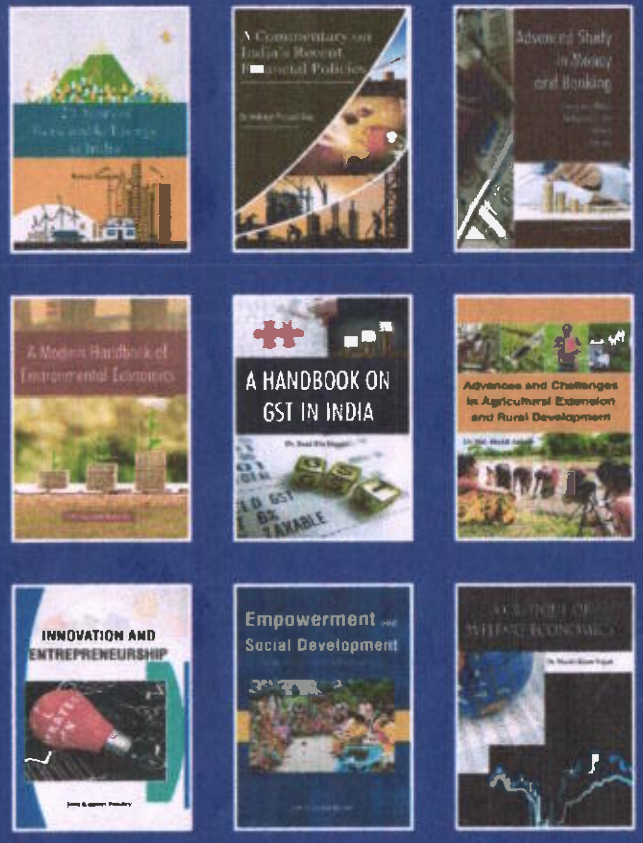

Global Press
448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916

ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 13 अंक 2 मार्च-अप्रैल 2021

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

India's Leading Refereed Hindi Language Journal

IMPACT FACTOR : 5.051

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

17

स्वयं सहायता समूह (SHG): ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान–नंदिता राय 547
उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की प्रासंगिकता–डॉ. नीरज कुमार सिंह 551
वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ–डॉ० रूपम मिश्रा 554
समकालीन महिला कथा-लेखन में मैत्रेयी पुष्पा की उपलब्धियाँ–डॉ० कंचन यादव 558
सोशल मीडिया से उपजता मानवीय मूल्यों का संक्रातिकाल–प्रो० माला मिश्र 563
लोकमंगल की पत्रकारिता और वर्तमान चुनौतियां–डॉ० राकेश कुमार दुबे 568
ज्ञान युग के संदर्भ में अब्दुल कलाम का शैक्षिक चिंतन–कुमारी प्रिती भारती 571
बिहार राज्य में मधुबनी जिला के अंतर्गत राजनगर ब्लॉक में सन 2021 में अलग अलग कक्षा में विभिन्न श्रेणियों के नामंकित बच्चे का भौगोलिक अध्ययन–जुली कुमारी 574
भारतीय सुरक्षा दृष्टि में भूटान की भू - रणनीतिक स्थिति का महत्व–सतीश कुमार 579
आधुनिक भारत के निर्माण में राजाराम मोहन राय का योगदान–डॉ० प्रियंका सिंह 583
छ0ग0 के कोरबा जिले में कोयला खनन से प्रभावित ग्रामीण समुदाय के समाजिक विकास का अध्ययन–डॉ० ऋचा यादव; सुनील कुमार 587
साहित्य दर्पण में वर्णित काव्य एवं काव्यपुरुष का स्वरूप कि प्रसागिकता–डॉ० नरेन्द्र कुमार आर्य 593
समकालीन हिन्दी कविता–डॉ० बलराम गुप्ता 596
साठोत्तरी उपन्यासों में वैवाहिक जीवन–प्रो० रमेश के पर्वती 600
किन्नर केन्द्रित प्रमुख हिन्दी उपन्यासों की भाषिक सरंचना–ज्योति; डॉ० वीरेन्द्र सिंह यादव 605
नागार्जुन के कथा-साहित्य में अछूतोद्धार के प्रसंग–डॉ० मनोज कुमार 610
छपरा स्थित डच समाधि स्थल से प्राप्त मध्य कालीन स्थापत्यों का ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सर्वेक्षण–डॉ० श्याम प्रकाश 612
प्रौढ़ व्यक्तियों के दबाव स्तर परप्रेक्षाध्यान के प्रभाव का अध्ययन–डॉ० निर्मला भास्कर; अनिल विश्नोई; डॉ० अशोक भास्कर 617
सरगुजा जिले के उराँव महिलायों तथा बच्चों में कुपोषण एवं स्वास्थ्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन (छ0ग0 राज्य के सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में)–शबाना परवीन; श्रीमती डॉ० रीचा यादव 621
सूचना का अधिकार और सुशासन (भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन)–आदित्य चतुर्वेदी 625
'पीढ़ियाँ' उपन्यास में साम्प्रदायिक अलगावाद और राष्ट्रवाद–संतोष कुमार भारद्वाज 628
छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रशासनिक अध्ययन–डॉ० श्रीमती रीना मजूमदार; डॉ० प्रमोद यादव; बिसनाथ कुमार 632

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक प्रशासनिक अध्ययन

डॉ० श्रीमती रीना मजूमदार

(शोध-निर्देशक) प्राचार्य, मोहन लाल जैन शासकीय महाविद्यालय, खुर्सीपार भिलाई (छ.ग.)

डॉ० प्रमोद यादव

(सह-शोध निर्देशक) विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग एस.आर.सी.एस, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

बिसनाथ कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, एस.आर.सी.एस., कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

सार:- छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर जनसाधारण विशेषत: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती हैं। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर संचालन के लिए वर्ष, 2007 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ एवं जनवरी, 2008 से कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा खाद्यान सामग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधि नियम 2012 लाया गया। राज्य के सभी लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 को सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया है। जिस तरह से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बेहतर संचालन एवं निगरानी की व्यवस्था हुई उससे छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चर्चा पूरे देश में है। राज्य में अक्टूबर, 2019 की स्थिति में 6 प्रकार के राशनकार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों में प्रचलित है। जिसमें, प्राथमिकता, अंत्योदय, नि:शक्तजन, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा कार्ड हैं। राज्य में 1 जनवरी, 2021 की स्थिति में राशनकार्डों की कुल संख्या 67,24,916 हैं।

महत्वपूर्ण शब्द:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राशन कार्ड, हितग्राही, उचित मूल्य दुकान,

विषय-प्रवेश:- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक के दौरान हरित क्रांति के बाद राशन प्रणाली में घरेलू उत्पादन का हिस्सा बडाप और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विधिवत् शुरूआत हो सकी। भारत सरकार द्वारा गरीब, असहाय, जरूरतमंद परिवारों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मुहैया कराने के उद्देश्य से 01.06.1997 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत ही कम कीमतों पर समाज के जरूरत मंद वर्गो को अनाज का वितरण और गैर खाद्य वस्तुएं मसलन गेहूँ, चीनी, चावल, केरोसिन आदि मुहैया कराने के लिए लायी गई एक सरकार प्रयोजित प्रणाली हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य-सुरक्षा व्यवस्था हैं। भारत में उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वालें खाद्य औंर गैर खाद्य वस्तुएं वितरित करता है। चावल, गेंहूँ, चीनी जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों अर्थात उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पूरे देश में जरूरत मंद लोगों तक पहुँचाया जाता हैं।

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो यह राज्य एक बेहतर संचालन एवं व्यवस्था के लिए पूरे भारत में चर्चित हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विनियमित करने की जिम्मेदारी साझा की हैं। केन्द्रीय सरकार खरीद, भंडारण, परिवहन और अनाज के थोक आबंटन के लिए जिम्मेदार हैं जबकि राज्य सरकारों को उचित मूल्य की दुकानों के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं तक इसके वितरण की जिम्मेदारी हैं। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के आबंटन, राशन सामग्री के समयबद्ध उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों में उपलब्धता बनाये रखने के साथ-साथ सम्पूर्ण वितरण व्यवस्था की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 23 दिसंबर, 2004 से पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2004 लागू किया गया हैं। इस आदेश के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक जनोन्मुखी एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। राज्य में सभी हितग्राहियों को निधारित मूल्य पर प्रति माह नियमित रुप से राशन मिलता रहे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को छत्तीसगढ़ लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 के दायरे में शामिल कर लिया है जिससे सभी हितग्राहियों को निर्धारित समय सीमा में राशन उपलब्ध हो सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क प्रारंभिक इतिहास पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में एक विशाल अन्नागार मिला था। इस अन्नागार के संबंध में इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे राजकीय भण्डार कहा किंतु इस अन्नागार का प्रयोग सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के रूप में होता था इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। समाज में वितरण व्यवस्था का प्रादुर्भाव मनुष्य के विकास क्रम के साथ ही हुआ। विकास क्रम के प्रारंभिक चरण में मनुष्य का जीवन पूरी तरह से असभ्य था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं अत्यंत ही सीमित थी। उस समय लोगों में न किसी प्रकार का स्वार्थ था और न ही किसी प्रकार की ईर्ष्या थी। सीमित आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप लोगों को जो भी वस्तुएं प्राप्त होता था उसी से संतुष्ट होकर अपना भरण-पोषण करता था। उत्पादन के लिए उस समय कोई प्रयत्नशील नहीं था और उत्पादन क्या होता है इससे भी परिचित नहीं था। प्रारंभिक चरणों में जब उत्पादन ही नहीं था तो वितरण व विपणन की समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता। धीरे-धीरे जब विकास की अवस्था गति प्रदान करने लगा तो मनुष्यों ने परिवार व्यवस्था को अपनाया। परिवार-व्यवस्था के विकास क्रम के साथ ही साथ सभ्यता का भी विकास होता गया और लोगों ने कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उस समय प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की कृषि को ही करता था और आपस में वस्तु विनिमय अर्थात् अदला-बदली कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। उस समय की वस्तु-विनिमय प्रणाली इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मनुष्य प्रारंभ से ही अपनी आवश्यक वस्तुओं के प्रति सचेत रहा है।

धीरे-धीरे विकास क्रम के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे और प्रत्यक्ष सेवाओं के विस्तार का इतिहास साक्षी है। कालांतर में प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था चार वर्णों में विभक्त था। इन चार वर्णों में तीसरे वर्ण पर आने वाले वैश्य वर्ग को कृषि, पशु-पालन, वाणिज्य आदि कार्यों का दायित्व सौपा गया। वैश्य अन्य वर्गों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। वैदिक काल में कृषि एवं पशु-पालन ही लोगों की जीविका के आधार-भूत साध न थे। इस काल में लोगों की आवश्यकतायें सीमित होने के कारण जो व्यक्ति जिस वस्तु का उत्पादन करता था, उसका कार्य उसी वस्तु से चल जाता था अर्थात् उस समय उत्पादक ही स्वयं उपभोक्ता थे। वैदिक युग की समाप्ति के पश्चात् समाज में नागरिक जीवन का विकास हुआ। वाणिज्य एवं व्यापार की उन्नति नगरों के साथ हुई। ग्रामों व नगरों में प्रचलित सामान्य उपयोग की वस्तुओं का फेरीवालों के माध्यम से या व्यापार दुकानों के माध्यम से होता था। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् बचे हुए भाग को व्यापारी शहरों में ले जाया करते थे, जो आवश्कतानुसार देश के समस्त भागों में भेजा जाता था।

परिकल्पना एवं उददेश्य:- प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभाव का एक प्रशासनिक अध्ययन किया गया है एवं निम्न परिकल्पनात्मक तथ्यों के साथ इसकों समझने का प्रयत्न किया गया है जिसमें प्रथम अध्ययन क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। द्वितीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता शुचिता, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था दिखाई दे रही है। इस शोध पत्र का उद्देश्य हितग्राही पूर्णत: लाभान्वित हो रहे है अथवा नही यह ज्ञात करना करना है।

अध्ययन पद्धति एवं उपादेयता:- किसी भी अनुसंधान कार्य तथ्यों के संकलन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता अतैव प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत के अंतर्गत प्रश्नावली तैयार करना, उत्तरदाताओं का साक्षात्कार करना, सैपलिंग करना, उत्तदाताओं से साक्षात्कार के माध्यम से संबधित शोध की जानकारी प्राप्त कर अवलोकन व सर्वेक्षण के आधार पर विश्लेषण किया जायेगा जिसमें प्रस्तुत शोध पद्धति के अध्ययन क्षेत्र धमतरी जिले के चारों विकासखण्डों से 75-75 उत्तरदाताओं का चयन कर कुल 300 उत्तरदाताओं का अभिमत प्राप्त कर विश्लेषण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित शोध में धमतरी जिले के चारों विकासखण्डों क्रमश: कुरूद, धमतरी, मगरलोड, नगरी को शामिल किया गया है ताकि सभी क्षेत्रों, वर्गो को समान प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इन चारों विकासखण्डों में पाँच-पाँच ग्राम पंचायतों का चयन किया जावेगा, जिसमें से एक ग्राम पंचायत शहरी आबादी के नजदीक सड़क मार्ग पर स्थित हो तथा दूसरा पंचायत सामान्य स्थिति एवं तीसरी पंचायत रिमोट एरिया से संबंधित होगी। प्रस्तावित अध्ययन में दैव निर्देशन के आधार पर प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्र कर उसका सारणीयन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जाएगा। द्वितीयक स्त्रोत के अंतर्गत विषय से संबंधित प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें, लेख, शोधग्रंथ, क्षेत्रीय समाचार, पत्रों की रिपोर्ट, वेबसाईट से प्राप्त जानकारी इत्यादि का संकलन एवं अवलोकन करना सम्मिलित है।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली:- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभिक निष्पादन खाद्य समस्या के उचित निवारण के उपायों को ध्यान में रखकर किया गया था, परन्तु बाद में इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा और धीरे-ध ीरे खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की स्थिति आ गयी। इस स्थिति के परिणामस्वरूप देश में खाद्य समस्या समाप्त हो गयी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ उन विशेष स्थानों पर प्रसारित करने का प्रयास किया गया, जैसे पर्वती तथा रेगिस्थानी क्षेत्र, दुर्गम या पिछड़े क्षेत्र। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की महत्वकांक्षी योजनायें जैसे गरीबी उन्मूलन रणनीति, बाजार में कीमतों के उतार चढ़ावों के निवारण आदि के लिए सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य साधन बनी हुई है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावशाली निष्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार आयातित खाद्य तेल, चीनी और केरोसिन के अतिरिक्त गेहूँ और चावल जैसे आवश्यक खाद्यान्नों के उचित वितरण के लिए उत्तरदायित्व वहन करती है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्गम 1960 के दशक में हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा आपूर्ति बनाये रखने के लिए केंद्रीय सरकार ने 1965 में भारतीय खाद्य निगम स्थापित किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्नों के मूल्यों में होने वाले वृद्धि को रोकने के लिए और ग्रामीण

Seth R.C.S Arts & Commerce DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm
College Durg (C.G.)

उपभोक्ताओं के लिये खाद्य पदार्थों की पहुँच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया है। देश में अक्टूबर 1974 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता का एक पृथक विभाग स्थापित किया ताकि बाजार में स्फीतिकारी शक्तियों का मुकाबला और अनिवार्य खाद्य वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण सही ढंग से किया जा सके। चुंकि भारत में हरित क्रांति के बाद राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वृहद पैमाने पर विस्तार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासी विकासखंण्डों और अत्यधिक पिछडेघ क्षेत्रों के लिये किया गया था। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून. 1992 में सम्पूर्ण देश के 1775 विकासखण्डो में आरम्भ की गयी थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावशील एवं सुदृढ़ बनाने तथा इसकी पहुँच दूर-दराज, पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों, जहाँ काफी निर्धन लोग निवास करते है, में पहुँच में सुधार करने की दृष्टि से सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गयी थी जिनमें समन्वित आदिवासी विकास योजना, सुखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जैसे विशिष्ट कार्यक्रम चलाये जा रहे थे।

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली:-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुएँ जनसाधारण, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वितरित किया जाता है। राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन. शक्कर, केरोसिन, नमक एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र में चना व गुड़ आदि आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 130 सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदाय केंद्र एवं 12,527 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रति माह लगभग 67.24 लाख राशन कार्ड धारी हितग्राहियों को पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

उचित मूल्य दुकान:- प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनवरी, 2021 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,307 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,220 कुल 12,527 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,427 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 4,029 दुकान, महिला स्व-सहायता समूह द्वारा 3,925 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 117 तथा नगरीय निकाय द्वारा 29 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012:- प्रदेश के निर्धन और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम. 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 78 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रति किलोग्राम है, जबकि प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कानून में अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के 57.11 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान्य परिवार वाले 9.44 लाख हितग्राहियों को 10 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है।

सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली:- राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2019 से किया गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिकता राशनकार्डों के खाद्यान्न सामग्री पात्रता में वृद्धि के साथ-साथ सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड जारी करने हेतु खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई हैं। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को भी खाद्यान्न की पात्रता होगी। वर्तमान में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान्य राशन कार्ड जारी किया जा रहा है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य की 98 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

राशन कार्ड:- प्रदेश में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कें अंतर्गत कुल 67,24,916 लाख राशन कार्ड धारी हितग्राही हैं। इनमें से 14,03,,753 अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड, 43,18,331 प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड, 38,657 एकल निराश्रित श्रणी के राशन कार्ड, 6,106 अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड, 10,577 निःशक्तजन राशन कार्ड तथा 9,47,492 सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड प्रचलित हैं। इन राशनकार्डों में निर्धारित पात्रतानुसार प्रतिमाह खाद्यान्न सामग्री प्रदाय की जा रही हैं।

राज्य में योजनावार राशनकार्डों की जानकारी

अंत्योदय परिवार (पीला)	प्राथमिकता परिवार (लाल)	एकल निराश्रित (स्लेटी)	अन्नपूर्णा (नीला)	निःशक्तजन (काला)	सामान्य परिवार (सफेद)	कुल योग
14,03,753	43,18,331	38,657	6,106	10,577	9,47,492	67,24,916

स्त्रोत:- छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

खाद्यान्न सामग्री का आबंटन:- राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को पात्रतानुसार चावल, शक्कर, रिफाईण्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक, केरोसिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चना व मधुर गुड़ का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020 से नवम्बर, 2020 तक खाद्यान्न सामग्री के आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नलिखित है -

Seth R.C.S. Arts & Commerce DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

क्र.	सामग्री	सामग्रियों का वर्शवार आबंटन एवं उठाव (मात्रा मीट्रिक टन में)							
		2017–18		2018–19		2019–20		2020–21(नवम्बर)	
		आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
1.	चावल	2031775	1991882	2059058	2033280	2351136	2289683	1712228	1666961
2.	शक्कर	63213	59244	68697	65719	68310	65066	45208	44649
3.	नमक	97463	92448	97321	93679	57062	54495	63933	62553
4.	चना	51037	49294	58048	54052	37018	35320	19927	19806

स्त्रोत:- आर्थिक सर्वेक्षण,वर्ष 2020-21

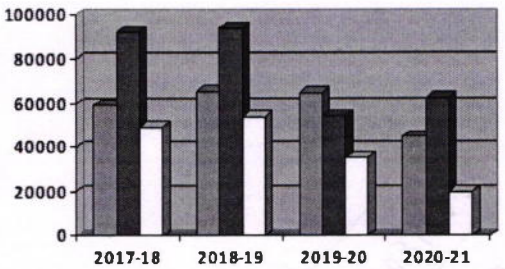

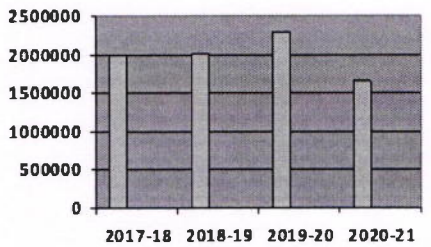

भाक्कर नमक चना चावल

निष्कर्ष:- अपने इस अध्ययन के उपरांत हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समुची व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण से निश्चय ही पहले की अपेक्षा पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। राज्य के सभी उचित मूल्य दुकानों का कम्प्यूटरीकरण से सभी पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ सुनिश्चित हुआ है। उचित मूल्य दुकानों के सभी पात्र हितग्राहियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री प्रदाय किया जा रहा है। राज्य शासन के प्रयासों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज की समस्या पहले से बहुत कम हो गयी है। अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के साथ-साथ अब सामान्य परिवारों के लिये भी सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य राशन कार्ड जारी किया गया है। इस प्रकार राज्य की 98 फीसदी आबादी को इस व्यवस्था के तहत सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। समय के साथ-साथ राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार किये हैं। इस प्रकार राज्य शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार से निश्चय ही भारत के अन्य राज्यों के लिये एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. गुप्ता, जगनलाल, (1963), कौटिल्य के आर्थिक विचार
2. सिंह, वी.वी, (1972), एन. इव्यूलूशन ऑफ फेयर प्राईस शॉप, आक्सफोर्ड, एण्ड आई.वी.एच. पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली
3. सक्सेना, के.के, (1974), इव्यूलूशन ऑफ कोआपरेटीव थाट, सोम्या पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई
4. ढोलकिया, एन और खुराना, राकेश, (1979), पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आक्सफोर्ड, एण्ड आई.वी.एच. पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली
5. गुप्ता, अरविंद, (1977), पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आफ फूड गेन्स इन इंडिया, मोनोग्राफ नंबर 69, सेंटर फार मैनेजमेंट एग्रीकल्चर इण्डियन इंस्टीट्यूअ आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद
6. अहलूवालिया, डी, (1993), भारत में खाद्यान्न का सार्वजनिक वितरण: कवरेज, लक्षित और लीकेज, खाद्य नीति
7. विस्तृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (2005), सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
8. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति, (2019-20), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग दूसरा प्रतिवेदन, लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली
9. वार्षिक रिपोर्ट, (2019-20), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
10. छत्तीसगढ़ शासन, (2019-20), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, प्रशासकीय प्रतिवेदन
11. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, (2020-21), छत्तीसगढ,ध इंद्रावती भवन नया रायपुर, अटल नगर, अध्याय 4 आर्थिक सर्वेक्षण
12. www.cg.khadya.nic.in
13. राज्य शासन का जनभागीदारी वेबसाईट
14. नवभारत ब्यूरो रायपुर, 19 सितम्बर 2020

Seth R.C.S Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm,
College Durg (C.G.)